कार्यालय नगर परिषद् सिंगोली, जिला नीमच (म.प्र.)

–: भूखण्ड़ आवंटन हेतु आवेदन पत्र (अहस्तांतरणीय) :–

श्री ....

आवेदन पत्र क्रमांक .... सिंगोली, दिनांक ..../......../.........

आवेदन पत्र शुल्क रू.–2000/–

प्रति,

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर परिषद् सिंगोली म.प्र.

विषय :– राजीव आवास योजना के भूखण्ड़ों का ऑफर प्रस्तुति बाबत्।

संदर्भ :– आनलाईन निविदा सूचना क्रं. .... दिनांक ....

मैं नगर परिषद् सिंगोली के स्वामित्व की भूमि पर वार्ड क्रमांक 03, राजीव आवास योजना के भूखण्ड क्रमांक .... के सार्वजनिक आनलाईन ऑफर आमंत्रण प्रक्रिया में भाग लेना चाहता हूं।

2– मैंनें राजीव आवास योजना के भूखण्ड़ों के आवंटन की शर्तों का अवलोकन एवं अध्ययन कर लिया है। मुझे सभी शर्तें मंजूर हैं एवं समय समय पर जारी शासन द्वारा जारी निर्देश मुझ पर लागु होकर मुझे मान्य होंगें।

3– मेरे द्वारा भूखण्ड़ आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र के साथ धरोहर राशि रू. .... निर्धारित प्रीमियम की 10% आनलाईन जमां कर दी गई, जिसकी प्रतिलिपी संलग्न है।

4– संलग्न दस्तावेज :–

1. पहचान पत्र की छायाप्रति (आधार कार्ड/वोटर आईडी/पेन कार्ड/ड्रायविंग लायसेंस/संस्था द्वारा जारी पहचान पत्र)

5– भागीदारी फर्म की स्थिति में पंजीकृत भागीदारी फर्म के पंजीयन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।

6– नगर परिषद् सिंगोली के स्वामित्व की भूमि पर निर्मित वार्ड क्रमांक 03, स्थित राजीव गांधी आवास योजना के भूखण्ड़ हेतु मेरा ऑफर राशि रूपये आनलाईन अपलोड किया गया।

दिनांक ....

हस्ताक्षर आवेदक ....
नाम – ....
पता– ....
....
दूरभाष/मोबाईल नंबर–..............................

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, सिंगोली (म.प्र.)

कार्यालय नगर परिषद् सिंगोली, जिला–नीमच (म.प्र.)

ऑफर की शर्ते

01. भूखण्ड़ के ऑफर आनलाईन पद्वति आमंत्रित किये जाते है। आनलाईन प्रथम लिफाफे में अर्नेस्टमनी (सुरक्षा निधि) तथा एवं द्वितीय लिफाफे में भूखण्ड़ की दर निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा। अर्नेस्टमनी जमा होने पर ही भूखण्ड़ दर का लिफाफा खोला जावेगा। अग्रिम राशि चैक से मान्य नहीं की जावेगी। भूखण्ड की साईज अनुमानित है मौके पर उपलब्ध साईज अनुसार भूखण्ड दिया जावेगा

02. दोनो लिफाफे के ऊपर निविदाकार का नाम, पता, सम्पत्ति का क्रमांक, भूखण्ड़ क्रमांक/नम्बर स्पष्ट अंकित होना आवश्यक होगा।

03. भूखण्ड़ नीलामी मे भाग लेने हेतु आनलाईन अमानत राशि जमा करायी जाकर, रसीद की छायाप्रति अपलोड करना होगी।

04. अचल संपत्ति अंतरण नियम 2016 एवं संशोधन 2021 में समस्त अंकित शर्ते ऑफर प्रस्तुतकर्ता को स्वतः मान्य करना होगी।

05. नगर परिषद् सिंगोली के स्वामित्व की भूमि पर वार्ड क्रमांक 03, राजीव आवास योजना के भूखण्ड़ का आवंटन, निर्धारित शर्तों एवं म.प्र. नगरपालिका (अचल सम्पत्ति अंतरण) नियम, 2016 के अंतर्गत प्रीमियम के उच्चतम भूखण्ड़ का ऑफर प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को (राईट ऑफ आक्यूपेशन) के आधार पर 30 वर्ष की अवधि के लिये अधिकतम प्रीमियम राशि के 0.5 प्रतिशत लीजरेंट राशि पर सक्षम प्राधिकारी की सक्षम स्वीकृति उपरांत किया जाना है। जिसका नवीनीकरण आगामी 30 वर्ष के लिये तत्समय प्रभावशील प्रभार के अनुसार भुगतान कर किया जा सकेगा।

06. भूखण्ड़ के आनलाईन आफर दाता को तीन फोटो/पहचान पत्र (जैसे–आधार कार्ड/राशनकार्ड/वोटर आईडी/ ड्रायविंग लायसेंस/पेन कार्ड/पासपोर्ट) की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ लिफाफे में प्रस्तुत करना होगी।

07. भूखण्ड़ के ऑफर प्रक्रिया के पूर्व भूखण्ड़ ऑफर प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को आवंटन की शर्तों को पढ़कर एवं समझकर, शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे। भूखण्ड़ का आवंटन संविदा करने में सक्षम व्यक्ति को ही किया जावेगा। रजिस्टर्ड फर्म के भागीदार को भूखण्ड़ लेने का अधिकार होगा, परंतु प्रतिबंध यह होगा कि, भूखण्ड़ का ऑफर प्रक्रिया के पूर्व, फर्म के रजिस्ट्रेशन की अभिस्वीकृति की प्रतिलिपि, प्रमाण पत्र व भागीदारों के नामों की सूचना लिखित में अर्नेस्टमनी के लिफाफे में देना होगी।

08. प्रत्येक भूखण्ड़ का प्ररक्षित/अनुमानित प्रीमियम निर्धारित है, इससे कम राशि का ऑफर स्वीकार नहीं किया जावेगा।

09. भूखण्ड़ के ऑफर प्रक्रिया में उच्चतम ऑफरदाता की जमा अमानत राशि रोकी जाकर, शेष ऑफरदाताओं की जमा अग्रिम राशि आनलाईन तत्काल लौटा दी जावेगी। उच्चतम ऑफरदाता को उच्चतम ऑफर की ~~25~~ 50 प्रतिशत राशि ऑफर प्रस्तुति दिनांक से 21 दिवस में जमा करना अनिवार्य होगा। ~~25~~ 50 प्रतिशत राशि जमां होने के पश्चात आनलाईन अमानत राशि वापस लोटाई जावेगी। तथा उच्चतम ऑफर की शेष राशि सूचना प्राप्ति के 120 दिवस में नगर परिषद् कोष में जमा करनी होगी, जिसमें अमानत राशि समायोजित की जा सकेगी। ऑफर प्रक्रिया में प्राप्त उच्चतम ऑफर राशि पर भूखण्ड़ आवंटन की सक्षम स्वीकृति के लिये प्रकरण परिषद् के सम्क्ष प्रस्तुत किया जावेगा, नगर परिषद की सक्षम स्वीकृति उपरांत ही ऑफर स्वीकृत माना जावेगी। नियत अवधि में संपूर्ण राशि जमा नहीं करने पर प्रतिभूति निक्षेप की राशि नपा कोष में समपहृत कर ली जावेगी जिसके लिए ऑफर प्रस्तुतकर्ता की कोई आपत्ति मान्य नही होगी, एवं भूखण्ड़ ऑफर आमंत्रण प्रक्रिया पुनः आयोजित की जावेगी

10. प्रत्येक भूखण्ड़ का लीजरेंट उच्चतम ऑफर राशि का 2.00 प्रतिशत (दो प्रतिशत) वार्षिक निर्धारित है, जो हितग्राही को प्रति वर्ष अप्रैल माह की 5 तारीख तक अग्रिम देना होगा।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, सिंगोली (म.प्र.)

लीजरेंट जमा नहीं होने की दशा में पंजीकृत पट्टानामा में उल्लेखित शर्तानुसार क्षतिपूर्ति राशि वसूल की जावेगी।

11. जिस व्यक्ति के नाम भूखण्ड़ आवंटित किया जावेगा ,उसको स्वयं के व्यय से नगर परिषद् द्वारा स्वीकृत प्रारूप में नगरपालिका के पक्ष में नियमानुसार निर्धारित स्टॉम्प पर पट्टानामा अनुबंध पंजीकृत कराना होगा।

12. भूखण्ड़ हस्तांतरण करने से पूर्व आवंटित को नगर परिषद की पूर्व अनुमति प्राप्त करना होगी, पूर्व अनुमति के अभाव में किये गये हस्तांतरण पर पट्टानामा में उल्लेखित शर्तानुसार कार्यवाही की जावेगी।

13. भूखण्ड़ के ऑफर प्रक्रिया के दौरान किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न होने की दशा में नगरपालिका द्वारा दिया गया निर्णय ही अंतिम होगा व न्यायालयीन ही रहेगा।

14. मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा लोकहित में उक्त संपत्ति का अंतरण निरस्त कर सकेगा और व्यवस्थापन वैकल्पिक स्थल पर कर सकेगा।

15. केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर आरोपित कर/शुल्क/अन्य प्रभारों का भुगतान पट्टाधारी द्वारा किया जाएगा।

16. ऑफर की उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थिति अथवा बिन्दु पर विवाद की स्थिति में परिषद द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व ऑफरदाता को मान्य होगा।

17. प्रस्तुत ऑफर को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार परिषद् के पास सुरक्षित रहेगा जो ऑफर प्रस्तुतकर्ता को मान्य होगा।

उपर्युक्त वर्णित 1 लगायत 17 तक की शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने की दशा में नगर परिषद् सिंगोली को भूखण्ड़ रिक्त कराने का अधिकार होगा।

उपरोक्त समस्त शर्तों को मैंने अद्यतन रूप से पढ़ एवं समझ लिया है तथा उक्त समस्त शर्तें मुझे स्वीकार हैं।

दिनांक सहित हस्ताक्षर

....

(भूखण्ड़ ऑफर प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति के)
नाम व पिता का नाम ____________________
____
पता ____________________
____

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, सिंगोली (म.प्र.)

कार्यालय नगर परिषद् सिंगोली, जिला नीमच(म०प्र०)

KEY DATES

S.No.	Works Department Stage	Bidder's Stage	Start		Expiry		Envelopes
			Date	Time	Date	Time	
1	-	Purchase of Tender-Online	08.05.2026	18.00	23.05.2026	18.00	
2	-	Bid Submission-Online	08.05.2026	18.00	23.05.2026	18.00	
3	-	Physically Submission	Online Only	-	-		
4	Technical (Envelope A)	-	-	-	25.05.2026	10.30	Envelope A
5	Financial Bid Open (Envelope B	-	-	-		10.30	Envelope B

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद सिंगोली म.प्र.

पृ.क क्रमांक – ..../2026 सिंगोली, दिनांक ..../05/2026

प्रतिलिपिः

1. शाखा प्रभारी, नगर परिषद सिंगोली की ओर निविदा का आनलाईन प्रकाशन हेतु पालनार्थ।
2. नगर परिषद कार्यालय सूचना बोर्ड पर चस्पा हेतु।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद सिंगोली (म.प्र.)

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, सिंगोली (म.प्र.)

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, सिंगोली (म.प्र.)

कार्यालय नगर परिषद सिंगोली जिला नीमच

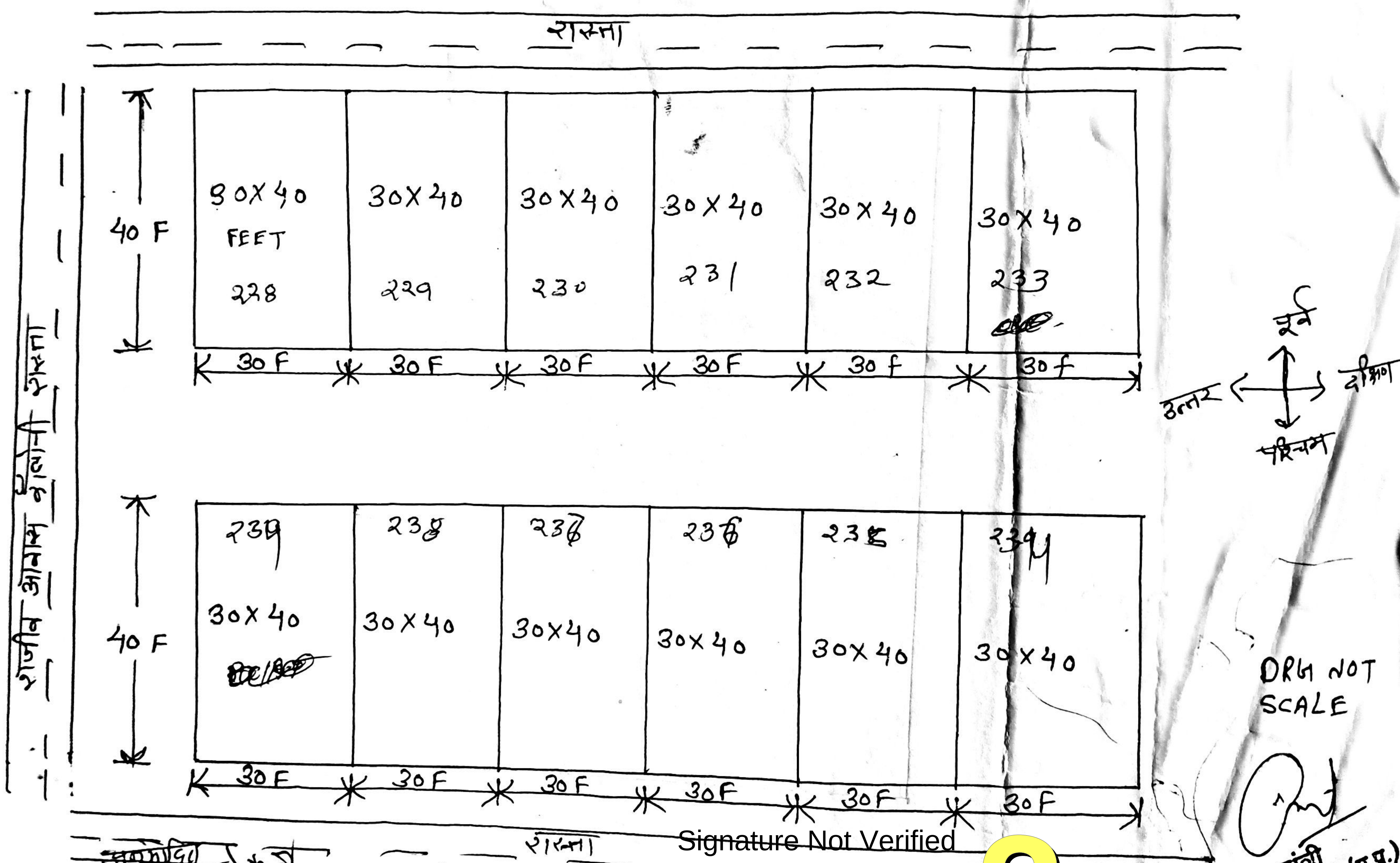

अनुमोदित

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, सिंगोली (म.प्र.)

Signature Not Verified
Digitally signed by KAPIL SINGH RAJAWAT
Date: 2026.05.08 10:15:36 IST
Location: Madhya Pradesh-MP

अध्यक्ष
नगर परिषद, सिंगोली (म.प्र.)

राजस्व प्रभारी
न.प. सिंगोली

उपयंत्री
नगर परिषद, सिंगोली (म.प्र.)